मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 1493 / NREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 13 / 02 / 12

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय :– ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला एवं जानकारियों का अनुश्रवण दिनांक 24.02.2012।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलगन कार्यक्रम अनुसार मनरेगा स्कीम के सफल संचालन हेतु लेखाधिकारी एमजीएनआरईजीएस के लाभार्थ मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24.2.2012 को परिषद् स्तर पर किया जा रहा है। अतः आपके लेखाधिकारी एनआरईजीएस को अनिवार्यरूप से उक्त दिनांक से परिषद् मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दें।

इस कार्यशाला का शुभारंभ एवं ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन विषय पर की नोट एड्रेस प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग देंगी। अतः आपके जिले के लेखाधिकारियों को अनिवार्यरूप से संबंधित कार्यशाला में भेजा जाना है।

इस प्रशिक्षण के बाद संबंधित लेखाधिकारी उनके जिले में वित्त एवं लेखा संबंधी स्टॉफ को भी आवश्यक जानकारियें से अवगत करायेंगे। कार्यशाला के दौरान मनरेगा संबंधित विभागीय आवश्यक जानकारियां एवं उनका अनुश्रवण लेखाधिकारियों से किया जायेगा। अतः लेखाधिकारी तैयारी कर आएं। इसी के साथ ऑडिट एवं फायनेंनशियल मैनेजमेंट के साफ्ट्वेयर में आंकड़े एंव जानकारी अद्यतन कर लाये।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. /1494/ NREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल,दिनांक 13 / 02 / 12

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. विकास आयुक्त विंध्याचल भवन भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य हेतु श्री मनोज श्रीवास्तव संयुकत आयुक्त वित्त को विभागीय प्रशिक्षण हेतु आदेशित भी करें।

निरंतर 2 ....

3. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य हेतु श्री घनश्यामसिंह संयुक्त संचालक वित्त एवं श्री गणेश उप संचालक को विभागीय प्रशिक्षण हेतु आदेशित भी करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य हेतु श्री एच.रहमान अतिरिक्त संचालक को विभागीय प्रशिक्षण हेतु आदेशित भी करें।
5. संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

कार्यशाला की समय सारणी
विषय – ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन

गतिविधि	प्रशिक्षण दाता अधिकारी	समय
प्रतिभागियों का पंजीकरण		प्रातः 9.30 से 10.15 तक
कार्यशाला का शुभारंभ – प्रमुख सचिव महोद्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का की नोट एड्रेस एवं मार्गदर्शन एवं आयुक्त महोद्य मनरेगा द्वारा विषय प्रवर्तन।		10.30 से
विषय पर प्रशिक्षण – विभाग के अधिकारियों द्वारा		
ऑडिट विषयवस्तु एवं संकल्पना। अ. ऑडिट का अर्थ। ब. विभिन्न प्रकार के ऑडिट। स. ऑडट का केन्द्रीय मूल तत्व	श्री एच. रहमान, अतिरिक्त संचालक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	11.00 से 11.30 तक
ऑडिट के महत्वपूर्ण पक्ष (भाग –1) अ. लेखांकन के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं लेखा परीक्षण ब. ग्रामीण विकास विभाग में उद्भूत ऑडिट आपत्ति की पृकृति। स. आपत्ति निराकरण के उपाय	श्री मनोज श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त वित्त विकास आयुक्त कार्यालय	11.30 से 12.00 तक
ऑडिट के महत्वपूर्ण पक्ष (भाग–2) अ. पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत संधारण किये जाने वाले लेखे एवं दस्तावेज एवं उनका ऑडिट पक्ष ब. प्रिया साफ्ट्वेयर का परिचय एवं उसका ऑडिट में सहयोग	श्री घनश्यामसिंह संयुक्त संचालक वित्त, पंचायतराज संचालनालय एवं श्री एन. गणेशन उप संचालक, पंचायतराज संचालनालय	12.00 से 12.45 तक
मनरेगा से संबंधित ऑडिट अ. अनुभवजन्य – मनरेगा ऑडिट में उद्भूत विभिन्न बिन्दु– चैक लिस्ट ब. मनरेगा के अंतर्गत संधारण किये जाने वाले लेखे एवं दस्तावेज स. आगत समस्याएं द. आपत्तियों के निराकरण के उपाय	डॉ. राजीव सक्सेना, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा मनरेगा परिषद्	12.45 से 1.30 तक
मनरेगा से संबंधित सनदी लेखाकार का ऑडिट अ. संचालन हेतु कियान्वयन ब. आगत समस्याएं स. समस्याओं का निराकरण	डॉ. राजीव सक्सेना, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा मनरेगा परिषद्	1.30 से 2.00 तक
मध्यान्ह भोजन		2.00 से 2.30 तक
मनरेगा सें संबंधित इंटरनल ऑडिट अ. संचालन हेतु कियान्वयन एवं ऑडिट टेक्नीक ब. आगत समस्याएं स. समस्याओं का निराकरण	डॉ. राजीव सक्सेना, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा मनरेगा परिषद्	2.30 से 3.00 तक
मनरेगा सें संबंधित ऑडिट एवं फायनेनशियल मेनेजमेंट साफ्ट्वेयर अ. साफ्ट्वेयर की मूल संकल्पना ब. साफ्ट्वेयर का पुनः प्रदर्शन स. महत्वपूर्ण बिन्दु द. जिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा	डॉ. राजीव सक्सेना, संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा एवं श्रीमती प्रीति तिवारी सहायक प्रबंधक IT एवं श्री अंशुल अग्रवाल प्रोग्रामर मनरेगा परिषद्	3.00 से 3.45 तक

जिलों से चर्चा एवं जिलेवार सनदी लेखाकार कंडिकाओं का पालन प्रतिवेदन का अनुश्रवण		अपरान्ह 3.45 से 5.00 तक
वित्तीय प्रबंधन – प्रशासनिक व्यय पर प्रशिक्षण एवं साफ्टवेयर में अद्यतन जानकारी जिलों से अंकित होने की समीक्षा एवं जानकारियों की समीक्षा एवं एकत्रीकरण (जनवरी 11 अंत प्रशासनिक व्यय, जनवरी 11 अंत मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से मजदूरी भुगतान, जनवरी 11 अंत लाईन विभागों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी, आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी जानकारी योजना प्रारंभ से जनवरी 11 अंत तक केन्द्रांश राज्यांश प्राप्ति का जिले वार जानकारी प्रस्तुत करना।)		5.00 से 5.30 तक
समापन के पूर्व ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन विषय का विहंगावलोकन एवं जिलों से विषय पर चर्चा।	श्री एच. रहमान, श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री घनश्यामसिंह, डॉ. राजीव सक्सेना	5.30 से 6.15 तक
प्रशिक्षण के समापन पर आयुक्त महोदय, मनरेगा द्वारा निष्कर्षकारी उद्‌बोध एवं जिलों से चर्चा एवं मार्गदर्शन एवं समापन ।		6.15 से